भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs. 25000

पच्चीस हजार रुपये

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 863329

- कुल स्टाम्प शुल्क :- 4,00,100/- रुपये
- इकरारनामे में से समायोजित स्टाम्प 1,14,000/- रुपये
- बैनामा हाजा पर अदा स्टाम्प 2,86,200/- रुपये

दिनांक.........

नं०.......... ०८

...र/सहायक रोकड़िया
कोषागार, मुजफ्फरनगर।

5,714,288.00/	5,704,000.00	10,000.00	20	10,020.00	800
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री मुस्ताक अहमद
पुत्र श्री नजर हुसैन
व्यवसाय कृषि
निवासी स्थायी सूजड़ु जिला मुजफ्फरनगर
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 29/6/2012 समय 10:31AM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शम्भू {रूखसाना नि0लि0}
प्र0उपनिबन्धक प्रथम
मुजफ्फरनगर
29/6/2012

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

श्री मुस्ताक अहमद
पुत्र श्री नजर हुसैन
पेशा कृषि
निवासी सूजड़ु जिला मुजफ्फरनगर

श्री ए एस जे प्रमोटर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा
संजय जैन
पुत्र श्री श्रवण कुमार जैन
पेशा व्यापार
निवासी 12 जैन मिलन विहार मुजफ्फरनगर

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री सकील अहमद
पुत्र श्री मुस्ताक अहमद
पेशा व्यापार
निवासी सूजड़ु जिला मुजफ्फरनगर
व श्री इसरार
पुत्र श्री सुफैल अहमद
पेशा व्यापार
निवासी अलमासपुर जिला मुजफ्फरनगर
ने की ।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शम्भू {रूखसाना नि0लि0}
प्र0उपनिबन्धक प्रथम
मुजफ्फरनगर

उप निबन्धक मुजफ्फरनगर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs. 25000

पच्चीस हजार रुपये

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

सत्यमेव जयते

2 6 JUN 2012

तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 863330

- सम्पत्ति स्थित :- ग्राम सुजड़ू परगना मुजफ्फरनगर
- खसरा :- 2263 व 2269
- क्षेत्रफल :- 1.1408
- निर्धारित दर :- 50,00,000/- रूपये

S-H Kumar

3

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs. 25000

25000

पच्चीस हजार रुपये

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

26 JUN 2011

त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 863331

विक्रेता तथा क्रेता दोनो भारतीय नागरिक है।

हम कि मुश्ताक अहमद पुत्र नजर हुसैन निवासी ग्राम सुजडू परगना तहसील व जिला मुजफ्फरनगर (Form-61) प्रथम पक्ष व ए एस जे प्रमोटर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा0 लि0 डी0-8 लक्ष्मीनगर दिल्ली (PAN- AAGCA 0382 C) (द्वारा डायरेक्टर श्री संजय जैन पुत्र श्री श्रवण कुमार जैन निवासी 12, जैन मिलन विहार मुजफ्फरनगर) द्वितीय पक्ष हैं।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs. 25000

25000

पच्चीस हजार रुपये

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

26 JUN 2012

र प्रदेश UTTAR PRADESH

B 863332

जो कि विदित हो कि प्रथम पक्ष खसरा नम्बर 2263 रकबई 1.882 हेक्टर तथा 2269 रकबई 2.998 कुल दो किते रकबई 4.8800 हेक्टर का मालिक व काबिज था। प्रथम पक्ष ने दिनांक 21-11-2009 को उपरोक्त भूमि में से 0.888 हेक्टर भूमि तथा दिनांक 30-12-2011 को 0.5702 हेक्टर भूमि तथा दिनांक 7-5-2012 को 1.1405 हेक्टर भूमि तथा दिनांक 30-5-2012 को 1.1405 हेक्टर भूमि द्वितीय पक्ष को विक्रय की और इस प्रकार अब प्रथम पक्ष की उपरोक्त खसरा नम्बरान में 1.1408 हेक्टर भूमि शेष रह गयी है और अब प्रथम पक्ष 1.1408 हेक्टर भूमि द्वितीय पक्ष को विक्रय कर रहा है। यह सम्पत्ति हर प्रकार के ऋण, भार, देनदारी तथा कब्जा मुखालफाना से पूर्णतः स्वच्छ है और उसको विक्रय करने के पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष को प्राप्त है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs. 25000

25000 पच्चीस हजार रुपये

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

2 6 JUN 2012

तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 863333

अतः पक्षगण स्वेच्छा से मन, बुद्धि तथा इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में बिला दबाव किसी अन्य व्यक्ति के घोषित करते है कि प्रथम पक्ष ने सम्पत्ति निम्नलिखित समस्त अधिकारों सहित बिना कोई अधिकार सुरक्षित रक्खे बदले अंकन **57,14,288/- रूपये** कि आधे जिसके अंकन 28,57,144/- रूपये होते है हस्ते ए एस जे **प्रमोटर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा0 लि0** डी0-8 लक्ष्मीनगर दिल्ली (**द्वारा डायरेक्टर श्री संजय जैन** पुत्र श्री श्रवण कुमार जैन निवासी 12, जैन मिलन विहार मुजफ्फरनगर) द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से विक्रय कर दी है। प्रथम पक्ष ने कुल विक्रय मूल्य द्वितीय पक्ष से निम्नविवरणानुसार प्राप्त कर लिये है और प्रथम पक्ष की कोई धनराशि द्वितीय पक्ष की ओर शेष नही रही है। प्रथम पक्ष ने अपना कब्जा मौका पर से उठा कर द्वितीय पक्ष का करवा दिया है और प्रथम पक्ष या उसके उत्तराधिकारियों का विक्रीत सम्पत्ति से कोई ताल्लुक व वास्ता नही रहा है और ना ही आईन्दा होगा। यदि भविष्य में प्रथम पक्ष की स्वयं की किसी क्रिया से या उसके किसी सहीम या शरीक की दावेदारी से या किसी अन्य कारण से विक्रीत सम्पत्ति या उसका कोई भाग कब्जे क्रेता या उसके स्थानापन्नो के कब्जे व अधिकार से निकल जावे तो उन्हे अधिकार होगा कि कब्जा स्वयं या द्वारा अदालत प्राप्त कर लें, या कुल विक्रय मूल्य, मय हर्जा खर्चा मय रिवाजी ब्याज सहित

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

2 6 JUN 2012

Rs. 25000

25000

पच्चीस हजार रुपये

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 863334

प्रथम पक्ष या उसके उत्तराधिकारियों से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लें, इसमे प्रथम पक्ष या उसके उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नही होगी।

अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति।।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs. 25000

पच्चीस हजार रुपये

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

2 6 JUNE 2012

तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 863335

विवरण विक्रीत सम्पत्ति स्थित ग्राम सुजडू परगना तहसील व जिला मुजफ्फरनगरः-
दरोबस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर **2263 रकबई 1.882 हेक्टर का यथोचित भाग** यानि 1.233 हेक्टर तथा खसरा नम्बर **2269 रकबई 2.998 हेक्टर** का यथोचित भाग यानि 2.759 कुल दो किते रकबई 3.992 हेक्टर यथोचित 1.1408 हेक्टर (कुल भाग से)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs. 25000

पच्चीस हजार रूपये

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 863336

विवरण प्राप्ती विक्रय मूल्यः- प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से कुल विक्रय मूल्य मे से अंकन 50,00,000/- रूपये द्वारा इकरारनामा दिनांक 3-7-2010 प्राप्त किये तथा बाकी अंकन 7,14,288/- रूपये द्वारा चैक नम्बरी 058286 दिनांक 28-6-2012 AXIS BANK मुजफ्फरनगर प्राप्त कर लिये है। इस प्रकार अब प्रथम पक्ष की कोई धनराशि द्वितीय पक्ष की ओर शेष नही रही है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs. 25000

पच्चीस हजार रुपये

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH B 863337

2 6 JUN 2012

नोटः- विक्रीत भूमि आवास विकास शुल्क के अर्न्तगत आती है। विक्रीत भूमि का अनुबन्ध बहुत उचित कीमत पर 57,14,288/- रूपये मे है। पक्षगण के कथनानुसार विक्रीत भूमि कृषि उपयोग की भूमि है और इसी प्रयोजन हेतु क्रय की जा रही है। विक्रीत भूमि मे कोई टयूबवैल, इमारत, कुआ आदि नही है। उक्त खसरा नम्बर प्रथम

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

2 6 JUN 2012

Rs. 25000

25000

पच्चीस हजार रुपये

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 863338

पक्ष ने द्वितीय पक्ष को बजरिये इकरारनामा दिनांक 3-7-2010 विक्रय करनी तय की थी। जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक मुजफ्फरनगर प्रथम में बही नं0 1 की जिल्द 5636 के पृष्ठ 399-440 पर क्रमांक 8038 पर दिनांक 3-7-2010 को हुई। अब उक्त इकरारनामे के अनुपालन में बैनामा हाजा दो बटा सात भाग का किया जा रहा है और

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 001433

नियमानुसार तथा भागानुसार स्टाम्प शुल्क समायोजित किया जा रहा है। विक्रीत भूमि कच्ची चकरोड पर स्थित है। इस क्षेत्र की कलैक्टर महोदय द्वारा निर्धारित दर 50,00,000/- रूपये प्रति हेक्टयर है, जिसके हिसाब से विक्रीत भाग भूमि की मालियत

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 001434

57,04,000/- रूपये होती है। लेकिन द्वितीय पक्ष ने आईन्दा के स्टाम्प सम्बन्धी विवाद से बचने हेतु स्टाम्प शुल्क 57,14,288/- रूपये पर अदा किया है। वर्तमान बाजारी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 232708

मालियत किसी भी दशा मे इससे अधिक नही है। विक्रीत भूमि के स्वामी प्रथम पक्ष की पैतृक सम्पत्ति है। द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि विक्रीत भाग भूमि पर प्रथम पक्ष

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 280515

के स्थान पर अपना नाम अंकित करा ले, इसमें प्रथम पक्ष या उनके उत्तराधिकारियो को

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 280516

कोई आपत्ति किसी प्रकार की नही होगी। *बैनामा हाजा के उपरान्त प्रथम पक्ष का विक्रीत भूमि में कोई अंश बाकी नही रहा है।*

साक्षीगण:-

1-शकील अहमद पुत्र मुश्ताक अहमद गाँव सूजडू मु० नगर

इरशाद पुत्र तुफैल अहमद इस्लामाबाद मु० नगर

लेखतिथि:- 28-6-2012 ई0

ड्राफ्टकर्ता:- संदीप अग्रवाल एडवोकेट तहसील सदर मुजफ्फरनगर ।

रजि0 नं0 8113/2001

साक्षी ....

हम स्वतः द्वारा घोषित करते हैं कि विवादित
भूमि में [illegible] की [illegible] में [illegible]

[illegible]

"अंगुली का प्रकार"

पक्षकार का नाम मुश्ताक अहमद

	अंगुष्ठक	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका
दायाँ					
बायाँ					

पक्षकार का नाम संजय जैन

दायाँ					
बायाँ					

पक्षकार का नाम

दायाँ					
बायाँ					

पक्षकार का नाम

दायाँ					
बायाँ					

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

26 JUN 2012

25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.

25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 863328

362/2012

9319936543

कार्यालय उपनिबन्धक मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर प्रथम

विक्रय पत्र (कृषि भूमि)

- विक्रेता का नाम :- मुश्ताक अहमद
- क्रेता का नाम :- ए एस जे प्रमोटर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा0लि0
- विक्रय मूल्य :- 57,14,288/- रूपये
- मालियत :- 57,04,000/- रूपये